न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील रेफरेंस/एल.आर./5432/2006/जयपुर

1 सोन्या
2 दुल्या
3 मूल्या
पुत्रगण जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति0राज0अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2020

यह स्पेशल अपील अन्तर्गत धारा 10 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने प्रकरण संख्या 93/2003 में पारित आदेश दिनांक 13–8–2004 के द्वारा रेफरेंस स्वीकार करने हेतु मण्डल को प्रेषित किया था। मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 19–5–2006 के द्वारा रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम गोपीरामपुरा के हाल खसरा नंबर 212 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नंबर 249 रकबा 0.20 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 हैक्टर के बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये इन्द्राजात को निरस्त कर उक्त आराजी को पुनः माफी मंदिर श्री सालिगराम जी विराजमान देह के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। जिसके विरूद्ध यह स्पेशल अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3 उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में मंदिर माफी की थी जो राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही के पश्चात मंदिर को एन्यूटी मिलने के परिणामस्वरूप भूमि माफी नहीं रहकर मंदिर खातेदार हो गया और उसका उप कृषक श्योनाथ वल्द सालिगराम व जयनारायण, श्रीनारायण तथा बालू पुत्र भौरीलाल जिनको कि पुजारी बताया गया है, वे कानून के अनुसार खातेदार हुए थे, इस कारण जब संवत 2021 में एकीकरण हुआ तब उनका नाम खातेदारी में अंकित हो गया। जो कानूनन विधिसम्मत था जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण को हस्तांतरित की गई है। अपीलार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से खातेदारों से उक्त भूमि क्रय की है। उनका तर्क है कि भूमि एकीकरण संवत 2021 अर्थात सन् 1964 में वादग्रस्त आराजी शिवनाथ बद्रीनारायण व भौरीलाल के नाम दर्ज हो गई थी और 1970 में

यह भूमि अपीलार्थी ने क्रय कर ली थी। अब 1964 के पश्चात् विक्रेताओं के नाम से खातेदारी का नामांतरकरण तस्दीक हो गया। उसके 40 वर्ष पश्चात यह रेफरेंस की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती है। इस तथ्य की जानकारी राज्य सरकार को थी लेकिन इतने लम्बे अन्तराल के बाद रेफरेंस प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। रेफरेंस अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं था। इसलिए मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–5–2006 निरस्त किया जाकर अपलार्थी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

5 इसके जवाब में विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मिसल बंदोबस्त संवत 2008 से 2023 में वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री सालिगराम जी विराजमान देह की खातेदारी में दर्ज है तथा पुजारी का नाम श्योनाथ वल्द सालिगराम व जयनारायण वल्द श्रीनारायण, बालू वल्द भौरीलाल ब्राह्मण दर्ज है। संवत 2021 में एकीकरण होने पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को मंदिर के नाम से हटाकर पुजारियों के नाम दर्ज किया गया और पुजारियों द्वारा अपीलार्थीगण को यह भूमि हस्तांतरित की गई है। उनका तर्क है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह स्पेशल अपील खारिज करने योग्य है।

6 हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2023 मे खसरा नंबर 112 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा खसरा नंबर 117 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सालगराम श्री विराजमान बरखेडा देह व एहतममाम पुजारी श्योनाथ वल्द सालगराम कौम ब्राह्मण सा0 बरखेडा जयनारायण वल्द श्री नारायण व बालू वल्द भौरीलाल कौम ब्राह्मण सा. देह व हि. बराबर मु0 कदीम खातेदार श्योनाथ वल्द सालिगराम पुजारी सा0 वरखेडा माफीदेन ठिकाना अंकित है। संवत 2021 में एकीकरण के समय उक्त भूमि के नवीन खसरा नंबर 36 व 71 बने तथा यह आराजी बिना किसी सक्षम आदेश के माफी मंदिर के नाम से हटाकर जयनारायण वल्द श्रीनारायण, जगदीश, रामराय, रामगोपाल पिसरान रामप्रताप के नाम दर्ज कर दी गई। इसके पश्चात् जयनारायण आदि द्वारा वर्ष 1970 में अवैध रूप से उक्त आराजी का विक्रय अप्रार्थीगण को कर दिया गया जिसके आधार वर्तमान जमांदी संवत 2056 से 2059 में अप्रार्थीगण के नाम हाल खसरा नंबर 212 रकबा 1.11 हैक्टर तथा खसरा नंबर 249 रकबा 0.20 हैक्टर आराजी दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी को बिना किसी आदेश से अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया। इस प्रकार उक्त भूमि का नियम विपरीत हस्तान्तरण हुआ है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत् अवयस्क है। उसके खातेदारी की भूमि पर धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। पुजारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई काश्त को मन्दिर की ओर से की गई काश्त माना जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की बृहद पीठ ने 2015(4) आर एल डब्लू

2721(राज) तारा व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबन्दी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। आराजी मूर्ति मन्दिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मन्दिर की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

8 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2023 में वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज है। ऐसी भूमि पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जब विक्रेताओं को ही कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं तो क्रेताओं को कोई अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील में हम कोई सार नहीं पाते हैं।

9 उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्पेशल अपील खारिज की जाती है तथा मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–5–2006 यथावत कायम रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य